साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्य परिषद् तेरहवीं बैठक दिनांक 14.11.2025

कार्यवाही विवरण

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14-11-2025 को माननीय कुलगुरु महोदय प्रो. वैद्यनाथ लाभ की अध्यक्षता में अशोका लैकव्यू होटल, भोपाल में दोपहर 12:30 बजे सम्पन्न हुई।

कुलसचिव, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, कार्य परिषद् द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

- प्रो. वैद्यनाथ लाभ, कुलगुरु, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय –अध्यक्ष
- श्री अभय कात्यायन, ग्वालियर - सदस्य
- प्रो. सत्यप्रकाश शर्मा, अलीगढ़ – सदस्य
- प्रो. ईश्वरशरण विश्वकर्मा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - सदस्य
- श्री राजेश कुमार गुप्ता, उप सचिव (म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग) - सदस्य
- प्रो. नवीन कुमार मेहता, प्राध्यापक, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय - सदस्य
- डॉ. राहुल सिद्धार्थ, सहा. प्राध्यापक, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय - सदस्य
- श्री विवेक पाण्डेय, कुलसचिव, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय - सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा एजेण्डा के बिंदुओं को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदनुसार एजेण्डा के बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए-

एजेण्डा क्र. 1 : कार्य परिषद् की 12वीं बैठक दिनांक 06.04.2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय - कार्यपरिषद् की 12वीं बैठक दिनांक 06.04.2023 के कार्यवाही-विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्र. 2 : कार्य परिषद् की 12वीं बैठक दिनांक 06.04.2023 के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

निर्णय – बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा क्र. 3 : विद्या परिषद् की 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं एवं 17वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की **13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं एवं 17वीं** बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

विद्या परिषद् की 15 वीं बैठक (दिनांक 01/03/2024) के एजेंडा 15 के अंतर्गत कार्यपरिषद् के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

- सिंहली लिपि से संबंधित बौद्ध ग्रन्थों के हिंदी में अनुवाद।
- ट्रांसलेशन कार्य के लिए विश्वविद्यालय का एक पैनल का गठन।
- 'साँची' पर केन्द्रित समस्त शोध आलेख, पुस्तकें, लेख आदि के संग्रह का निर्णय लिया गया ताकि साँची पर किसी भी प्रकार के आलेख के लिए साँची विश्वविद्यालय ही एक रेफरेंस बिंदु के रूप में स्थापित हो।

इसी विद्या परिषद् के एजेंडा क्र. 19 के अंतर्गत बिंदु 7 के संदर्भ में कार्य परिषद् द्वारा पीएच.डी. के शोध प्रबंध के मूल्यांकन की राशि (साक्षात्कार एवं थीसिस मूल्यांकन) को अन्य विश्वविद्यालयों के समरूप रखने हेतु परीक्षा विभाग को निर्देशित किया गया।

एजेंडा क्र. 19 के अंतर्गत बिंदु 8 के संदर्भ में कार्य परिषद् द्वारा वर्क लोड की गणना कर इसे प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्र. 04 विश्वविद्यालय के नवीन शैक्षणिक भर्ती नियमों को मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के अनुरूप तैयार किये जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया हेतु तैयार किये गये नवीन शैक्षणिक भर्ती नियम कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ परिशिष्ट "क" में संलग्न कर प्रस्तुत किये गये।

निर्णय - कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में यूजीसी के प्रचलित शैक्षणिक नियमों को समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ अद्यतन करने हेतु एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे-

1. अध्यक्ष- कुलगुरु महोदय साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि.
2. सदस्य- प्रो. ईश्वरशरण विश्वकर्मा, कार्य परिषद् सदस्य
3. सदस्य- प्रो. सत्यप्रकाश शर्मा, कार्यपरिषद् सदस्य
4. सदस्य- विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त न्यायाशीध/उसके समकक्ष
5. सदस्य- उपसचिव, संस्कृति विभाग
6. सदस्य सचिव- सहायक निदेशक (विधि), साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि.

कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि नियमावली तैयार कर संस्कृति मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन को अविलम्ब प्रेषित करें।

एजेण्डा क्र. 05 : माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रेषित आवेदन अनुसार मानदेय पुनर्निर्धारण के संबंध में मय निर्णयार्थ।

मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2013/तीस भोपाल दिनांक 08.01.2025 द्वारा साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 10 उपधारा (1) सहपठित धारा 21 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय साधारण परिषद् के अध्यक्ष द्वारा प्रो.यज्ञेश्वर एस.शास्त्री को विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक एफ 01-12/2013/तीस/1680 दिनांक 24.09.2013 के माध्यम से कुलाधिपति पद का मानदेय निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है -

पदनाम	पद संख्या	स्वीकृत राज्य शासन का मानदेय
कुलाधिपति	01	80000 विशेष भत्ता 10000/- रूपये प्रतिमाह

उक्त के अनुक्रम में प्रो.यज्ञेश्वर एस शास्त्री द्वारा पत्र दिनांक 09.01 2025 के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय द्वारा पदभार ग्रहण किया गया तथा ईमेल दिनांक 07 अप्रैल 2025 के माध्यम कुलाधिपति के मानदेय का पुनर्निर्धारण किये जाने का लेख किया गया है।

कुलाधिपति महोदय के मानदेय निर्धरण पर विचार हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : कुलाधिपति की नियुक्ति साधारण परिषद के द्वारा की जाती है। तदानुसार मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक एफ 01-12/2013/तीस/1680 दिनांक 24.09.2013 के माध्यम से उनका मानदेय तत्कालीन छठे वेतन आयोग के आलोक में निम्नानुसार तय किया गया था-

पदनाम	पद संख्या	स्वीकृत राज्य शासन का मानदेय
कुलाधिपति	01	80000 विशेष भत्ता 10000/- रूपये प्रतिमाह

उक्त के अनुक्रम में प्रो.यज्ञेश्वर एस शास्त्री द्वारा पत्र दिनांक 09.01 2025 के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय द्वारा पदभार ग्रहण किया गया तथा ईमेल दिनांक 07 अप्रैल 2025 के माध्यम कुलाधिपति के मानदेय का पुनर्निर्धारण किये जाने का लेख किया गया है।

इस संबंध में अग्रिम निर्णय/संशोधन के लिए साधारण परिषद् ही अधिकृत है।

एजेण्डा क्र. 06 : कार्य परिषद के सदस्यों में से वित्त समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु।

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 34 (1) के अंतर्गत (दो) में प्रावधान अनुसार "Three Members nominated by the Executive Council from amongst its members" वर्णित है। कार्य परिषद् के सदस्यों में से तीन सदस्यों के नामांकन वित्त समिति में किये जाने हेतु प्रकरण समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को वित्त समिति हेतु नाम निर्देशित किया गया -

- प्रो. सत्यप्रकाश शर्मा, अलीगढ़
- प्रो. ईश्वरशरण विश्वकर्मा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
- कुलसचिव, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र.7: विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अंतर्गत नियुक्ति दिनांक से माह अगस्त 2020 तक की एन.पी.एस. एरियर राशि एन.पी.एस. ट्रस्ट एकाउण्ट में जमा करने की कार्योत्तर स्वीकृति।

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की कण्डिका-43 उपदान तथा पेंशन अंतर्गत विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी कर्मचारी ऐसे परिनियमों के अनुसार, जो उस निमित्त बनाए जाएं, पेंशन तथा उपदान के फायदों के लिए हकदार होंगे।

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1157/2649/2020/तीस दिनांक 29 अगस्त 2020 के माध्यम से विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का लाभ दिनांक 29 अगस्त 2020 से प्रारंभ किया गया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का माह सितंबर 2020 से कर्मचारी का अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान एन.पी.एस. ट्रस्ट एकाउण्ट में जमा किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 29.12.2005 में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि अंशदान पेंशन प्रणाली राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली प्रचलित है, के दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को लागू किया जाए।

उपर्युक्तानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का लाभ प्रदान कर नियुक्ति दिनांक से माह अगस्त 2020 तक की अवधि का एन.पी.एस. एरियर राशि एन.पी.एस. ट्रस्ट एकाउण्ट में जमा किया गया है।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का लाभ प्रदान कर नियुक्ति दिनांक से माह अगस्त 2020 तक की अवधि का एन.पी.एस. एरियर राशि एन.पी.एस. ट्रस्ट एकाउण्ट में जमा किये जाने की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में सहमति भी व्यक्त की गयी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अंशदान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा जमा करायी गयी राशि को विश्वविद्यलाय के कर्मचारियों से नियमानुसार किश्तों में समायोजित कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

यह व्यक्तिगत अंशदान प्रतिमाह देय वेतनमान के 1/3 से अधिक न हो।

एजेण्डा क्र 08: गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश स्वीकृति के संबंध में निर्णय हेतु श्रीमति विभा शर्मा, सहायक प्रकाशन अधिकारी, श्रीमति नीलिमा चंद्रवंशी, नर्स महिला।

विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रीमति विभा शर्मा, सहायक प्रकाशन अधिकारी एवं श्रीमति नीलिमा चंद्रवंशी, महिला नर्स द्वारा निम्नानुसार अपने अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है -

क्र	नाम एवं पदनाम	अध्ययन अवकाश आवेदन दिनांक	पाठ्यक्रम विषय
1	विभा शर्मा सहायक प्रकाशन अधिकारी	04/06/2025	मनोविज्ञान विषय से पीएच.डी.
2	नीलिमा चंद्रवंशी महिला नर्स	07/08/2025	नर्सिंग विषय से पीएच.डी.

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 17वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार Discussion on study leave for pursuing Ph.D. by non-teaching staff - गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारीगण के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन अवकाश आवेदनों के संबंध में अनुमति प्रदान करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखने एवं कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया -

अ. आवेदक विश्वविद्यालय की नियमित सेवा में स्थायी हो चुका हो एवं विश्वविद्यालय में उसकी नियमित सेवा न्यूनतम पाँच वर्ष की हो चुकी हो।

आ. आवेदक के पद का अध्ययन हेतु चयनित विषय से सीधा संबंध होना चाहिए अथवा उसके द्वारा अध्ययन हेतु चयनित विषय विश्वविद्यालय की दृष्टि से निश्चित लाभ का हो।

इ. किसी भी परिस्थिति में विभाग में नियुक्त कर्मचारियों की 20 प्रतिशत से अधिक संख्या में अध्ययन अवकाश के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जाएँगे।

ई. संबंधित आवेदक को दूरस्थ शिक्षा अवैतनिक आधार पर स्वाध्यायी शिक्षण एवं ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन करने की अनुमति विश्वविद्यालय अध्ययन अवकाश नियमों/परिनियमों के अध्याधीन प्रदान की जा सकती है।

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अवलोकनार्थ एवं उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अध्ययन अवकाश स्वीकृति पर विचारार्थ प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित नियमों एवं विद्या परिषद् की 17वीं बैठक में गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारीगण के द्वारा अध्ययन अवकाश हेतु प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में अनुमति हेतु निर्धारित शर्तों के बिंदुओं का अवलोकन किया गया | समिति द्वारा प्रथम तीन बिन्दुओं को यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया एवं बिन्दु क्र. (ई) में चर्चा उपरांत समिति सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र से अलग विषय में पीएच.डी. करना चाहता है एवं जिसका विश्वविद्यालय को किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष लाभ न हो तो ऐसी स्थिति में अवैतनिक आधार पर संबंधित को गुण-दोष के आधार पर अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।

एजेण्डा क्र. 09: विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पत्र क्रमांक 1438/1241882/2023/तीस भोपाल दिनांक 24.08.2023 के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 2215 दिनांक 24.08.2023 अंतर्गत माननीय मंत्री महोदया, संस्कृति से प्राप्त पत्र क्रमांक 2105 दिनांक 25.08.2023 में दिये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में नियमित पद के विरुद्ध संविदा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित कर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से अनुमोदन प्राप्ति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत। (संलग्न)

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि यदि आरक्षण (रोस्टर) संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। तत्पश्चात् परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए।

एजेण्डा क्र.10: माननीय कुलगुरु महोदय को किये गये चिकित्सा देयक भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

माननीय कुलगुरु महोदय श्री वैद्यनाथ लाभ द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा देयक की राशि रूपये 74787 का भुगतान विश्वविद्यालय चिकित्सा परिचर्या नियमानुसार किया गया है। माननीय कुलगुरु महोदय के चिकित्सा देयक राशि भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय के Statute No. 01 को दृष्टिगत रखते हुए कुलगुरु को "Medical Facility : The Vice Chancellor shall be entitled for medical reimbursement and medical facility as per the statutes of the University. For extra ordinary treatment, approval of EC/GC may be obtained." के अनुसार पूर्ण वित्तीय सहायता/प्रतिपूर्ति देय होगी।

एजेण्डा क्र.11 : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर के समान विश्वविद्यालय में महंगाई भत्ता की दर सातवें वेतनमान अनुसार 31%, 34%, 38%, 42%, 46%, 50%, 53%, 55% करने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्र. 12 : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदाय सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन के छटवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता प्रदाय किया जा रहा जा रहा था। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन के सातवें वेतनमान अनुसार प्रचलित गृह भाड़ा भत्ता का लाभ विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदाय किया जा रहा है। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्र.13 : विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ.11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2008 के बिंदु क्रमांक 2 के अंतर्गत "सिविल सेवाओं में जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें "अ" तथा "ब" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति के पश्चात 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा "स" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा। समयमान वेतनमान से पूर्व 5 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने के उपरांत आगामी पद पर पदोन्नत किया जाना प्रावधानित है। पदोन्नति के पद उपलब्ध न होने की अवस्था में विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को "अ" तथा "ब" वर्ग के सदस्यों को 8 वर्ष एवं स वर्ग के सदस्यों को 10 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय किया गया है। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्र. 14 : विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

विश्वविद्यालय में भृत्य पद पर कार्यरत स्व.श्री राजेश कहार की मृत्योपरांत विश्वविद्यालय में अनुकंपा नियुक्ति परिनियमों अंतर्गत उनकी पत्नी श्रीमती शीतल कहार को आदेश क्रमांक 954 दिनांक 13.05.2024 द्वारा तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्र. 15 : विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के त्यागपत्र स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति तदुपरांत रिक्त हुए पदों की जानकारी के संबंध में।

विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य संस्थाओं में नियुक्ति अथवा व्यक्तिगत कारणवश अपने पद से त्यागपत्र प्रदाय किये गये जिन्हें नियोक्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है। त्यागपत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार है -

शैक्षणिक वर्ग				
स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदभार ग्रहण दिनांक	पदत्याग दिनांक
1	डॉ प्राची अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक (चीनी भाषा)	01.09.2015	06.03.2023
2	डॉ अखिलेश कुमार सिंह	सहायक प्राध्यापक (आर्युवेद)	26.08.2015	09.11.2019
3	डॉ. मुकेश कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक (बौद्ध दर्शन स्कूल)	31.03.2015	09.11.2020
4	डॉ. विश्व बन्धु	सहायक प्राध्यापक (संस्कृत भाषा)	25.08.2015	23.11.2023
गैर शैक्षणिक वर्ग				
1	श्री विवेक तिवारी	सहायक यंत्री सिविल	31.07.2015	25.09.2018
2	श्री सौरभ उमालकर	सहायक निदेशक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	25.11.2016	07.02.2022
3	श्री प्रवीण गौर	सहायक निदेशक छात्रावास	12.12.2014	29.12.2014
4	श्री यतीन्द्र गुसाई	सहायक निदेशक छात्रावास	07.01.2015	14.08.2018
5	श्री विवेक शाक्या	छात्रावास प्रभारी	10.09.2015	16.04.2018
6	श्री अमित कुमार गौतम	खेल व्यवस्थापक	08.01.2016	05.02.2016
7	सुश्री नीतू सिंह	खेल व्यवस्थापक	03.08.2017	22.09.2018
8	श्री अनिल कुमार जैन	लेखापाल वर्ग-1	11.11.2016	25.09.2019
9	श्री संदीप द्विवेदी	लेखापाल वर्ग-2	01.08.2017	15.09.2019
10	श्री दिग्विजय सिंह वर्मा	कार्यालय सहायक ग्रेड-1	23.09.2015	17.07.2017
11	श्री अशोक जाटव	कार्यालय सहायक ग्रेड-2	01.09.2017	09.11.2018
12	श्री अमित घारिया	कार्यालय सहायक ग्रेड-3	16.11.2015	28.08.2017

13	श्री अनीष गजभिये	कार्यालय सहायक ग्रेड-3	14.09.2015	19.06.2017
14	श्री तरूण विजयवर्गीय	कार्यालय सहायक ग्रेड-3	03.11.2016	31.08.2017
15	श्री विजय फबयानी	कार्यालय सहायक ग्रेड-3	07.11.2016	27.11.2018
16	श्री नीरज कुमार साहू	चौकीदार	07.11.2016	16.01.2019
17	श्री नरेश मिश्रा	वार्ड वाय	08.11.2016	02.06.2020
18	श्री संजय तिवारी	सुरक्षा सहायक	05.11.2015	01.02.2020(अनुबंध समाप्त)
19	श्री सुजीत कुमार सिंह	सुरक्षा सहायक	02.11.2015	26.09.2023
20	श्री सत्यवीर सिंह तोमर	सुरक्षा सहायक	16.11.2015	30.08.2019
21	श्री लखन पथरोल	स्वीपर कम फर्राश	06.11.2015	19.08.2019
22	श्री दीपक धौलपुरिया	स्वीपर कम फर्राश	01.01.2016	10.01.2016
23	श्री सुरेन्द्र पथरोल	स्वीपर कम फर्राश	11.11.2016	24.03.2017
24	श्री रविन्द्र सिंह मालवीय	पेंट्री सहायक	09.11.2015	06.01.2018
25	श्री संजय तिवारी	भृत्य	06.11.2015	09.11.2015
26	श्री संजय शर्मा	भृत्य	08.08.2016	08.04.2021
27	सुश्री पूजा बाथम	भृत्य	01.12.2015	19.12.2015
28	श्री आंनद बाघ	भृत्य	16.11.2015	29.02.2016
29	श्री संजय कुमार साकेंत	भृत्य	09.11.2015	05.02.2020(अनुबंध समाप्त)
30	श्री कमल सिंह झारिया	भृत्य	02.05.2016	15.06.2022 (अनुबंध समाप्त)
31	श्री सुशील कुमार केवट	भृत्य	28.06.2016	14.08.2017
32	श्री संतोष प्रजापति	भृत्य	19.09.2017	20.09.2017
33	श्री राजेश नामदेव	भृत्य	06.01.2018	25.10.2024
34	श्री नीरज सिंह राजपूत	माली	11.12.2015	13.06.2017
35	श्री हरिओम पटेल	माली	11.11.2016	16.01.2019
36	श्री सुरेश पटेल	माली	02.11.2015	26.04.2019
37	श्री शिवराम सिंह	कुक	10.01.2016	16.01.2019

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र स्वीकृति उपरांत उनके द्वारा धारित पद रिक्त हो गये हैं। अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत त्यागपत्र का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। समिति के सदस्यों में इस बात पर भी सहमति बनी कि ऐसे समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारीगण का रिकार्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाये जिनके द्वारा स्वयं विश्वविद्यालय की सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जिन्हें सेवा से पृथक् किया गया है। सभी के रिकार्ड में उनकी पदभार ग्रहण करने की

तिथि एवं पद से त्यागपत्र प्रस्तुत करने/पृथक् करने की तिथि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये एवं सभी की पृथक्-पृथक् व्यक्तिगत नस्ती भी संधारित की जाये।

एजेण्डा 16 : विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के Convocation Rules की कार्यवाही के संबंध में।

विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किये जाने से संबंधित Convocation Rules का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। उक्त Convocation Rules कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अंतिम रूप से तैयार नियमों को अनुमोदित करने से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय के नियमों का भी अध्ययन आवश्यक रूप से किया जाये, जिससे नियमों में त्रुटि की संभावना ना हो । कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से माननीय कुलगुरु महोदय को इस संबंध में अधिकृत किया गया।

एजेण्डा 17 : विश्वविद्यालय में कार्यरत पात्र शैक्षणिक संवर्ग को CAS केअंतर्गत छानबीन समिति द्वारा प्रोन्नति की अनुशंसा की कार्योत्तर स्वीकृति।

कार्य परिषद् की 10वीं बैठक दिनांक 18.04.2022 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में शैक्षणिक पदों पर नियुक्त शैक्षणिक संवर्ग हेतु CAS (Career Advancement Scheme) अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा उपरांत डॉ. सुष्मिता नंदी, सहायक प्राध्यापक की प्रोन्नति/स्थानन तालिका के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित की गई है -

क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम	कनिष्ठ श्रेणी प्राप्ति की तिथि एवं वेतनमान 39100-15600, 6000 AGP (अकादमिक स्तर - 10)	वरिष्ठ श्रेणी प्राप्ति की तिथि एवं वेतनमान 39100-15600, 7000 AGP (अकादमिक स्तर - 11)
1.	डॉ. सुष्मिता नंदी	20/10/2016	20/10/2020

विश्वविद्यालय के पृ.क्र. 3707/साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि./स्था./2022 दिनांक 13/12/2022 के आदेश को संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में CAS (Career Advancement Scheme) अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशसा उपरांत पूर्व के शैक्षणिक अनुभवों को मान्य करते हुए निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों की प्रोन्नति/स्थानन तालिका के अनुसार पुनर्निर्धारित की गई है-

क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम	कनिष्ठ श्रेणी प्राप्ति की तिथि एवं वेतनमान 39100-15600, 6000 AGP (अकादमिक स्तर - 10)	वरिष्ठ श्रेणी प्राप्ति की तिथि एवं वेतनमान 39100-15600, 7000 AGP (अकादमिक स्तर - 11)	प्रवर श्रेणी प्राप्ति की तिथि एवं वेतनमान 39100-15600, 8000 AGP (अकादमिक स्तर - 12)

1.	डॉ.राहुल सिद्धार्थ	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2020
2.	डॉ.संतोष प्रियदर्शी	25/08/2015	18/02/2019	-

उपरोक्तानुसार डॉ.सुष्मिता नंदी, डॉ.राहुल सिद्धार्थ एवं डॉ.संतोष प्रियदर्शी को CAS (Career Advancement Scheme) प्रदाय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न शैक्षणिक संवर्ग में निम्नानुसार CAS (Career Advancement Scheme) का लाभ पुनर्निधारित किये जाने की अनुशंसा छानबीन समिति द्वारा की गई है -

क्र.	शैक्षणिक संवर्ग का पदनाम
1.	डॉ.प्रभाकर पाण्डेय
2.	डॉ.संतोष प्रियदर्शी
3.	डॉ.रमेश रोहित
4.	डॉ.देवेन्द्र सिंह
5.	डॉ.उपेन्द्र बाबू खत्री
6.	डॉ.नवीन दीक्षित
7.	श्री विवेक पाण्डेय
8.	डॉ.अमित ताम्रकार

तदनुसार कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग को प्रदाय किये जाने वाले CAS (Career Advance Scheme) हेतु छानबीन समिति की गोपनीय अनुशंसा कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि CAS से संबंधित जो नस्तियाँ संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर प्रेषित की गई हैं, उनकी प्राप्ति के उपरांत एजेण्डा 17 को स्वीकृत मानकर आगामी कार्यवाही की जाए।

एजेण्डा 18 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।

(अ) विश्वविद्यालय के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए आवश्यकतानुसार Out Source आधार पर कर्मचारी लिए जाने विषयक।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Out Source के आधार पर कर्मचारीयों को रखे जाने की अनुमति के संबंध में पुनः संस्कृति विभाग को प्रस्ताव/पत्र भेजा जावे।

(ब) शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने की अनुमति के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक पदों पर यूजीसी एवं गैर शैक्षणिक पदों पर म.प्र. शासन के नियम के अनुसार आवश्यकतानुसार भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

(स) परीक्षा शाखा हेतु गोपनीय भत्ता प्रदान करने के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यभार एवं अनुपातिक रूप से छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम हैं इसलिए अभी गोपनीय भत्ता स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

(द) विश्वविद्यालय परिसर से लगी लगभग 20 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय को आवंटन किये जाने हेतु संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन की ओर से कार्यवाही किये के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त संबंध में पुन: उप सचिव, संस्कृति विभाग के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाये।

(य) विश्वविद्यालय परिसर के द्वितीय चरण से संबंधित निर्माण कार्यों हेतु बजट आवंटन के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि द्वितीय चरण में निर्माण किये जाने वाले भवनों/अधोसंरचनाओं पर होने वाले व्यय का आंकलन कर/डीपीआर/मास्टर प्लान बनवाकर बजट आवंटन के लिये संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

(र) विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय ध्यान केन्द्र बनाये जाने के लिये सुआखेड़ी में आवंटित भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु भूमि के चारों ओर वाउण्ड्रीबाल निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पर होने वाले व्यय का आंकलन कर बजट आवंटन के लिये संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

(ल) विश्वविद्यालय साधारण परिषद् की छठी बैठक दिनांक 3 अप्रैल, 2025 में कार्य परिषद् हेतु नवीन तीन सदस्यों को नामित करने, विश्वविद्यालय में स्कूलों के अंतर्गत विभागों के गठन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान करने, ISBS रजत जयंती सम्मेलन, 2025 के लिए बजट स्वीकृति प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापन करने के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय हित में लिये गये निर्णयों के संबंध में प्रसन्नता व्यक्त की एवं साधारण परिषद् के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(व) विश्वविद्यालय क्रय प्रक्रिया नियम में उपभोक्ता/थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हाने के कारण प्रक्रिया नियम की कंडिकाओं में संशोधन पर विचार।

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के क्रय प्रक्रिया एवं नियम वर्ष 2014 (Notification No. 58/SUBIS/Law/2018-19 दिनांक 01.11.2018) की कंडिकाओं / उपकंडिकाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया :–

क्र.	कण्डिका / उपकण्डिका	वर्तमान प्रावधान / नियम	प्रस्तावित
01	4	**4. क्रय हेतु निविदा प्रणालियां** : क्रय की जाने वाली सामग्री के मूल्य व प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रणाली लागू	**4. क्रय हेतु निविदा प्रणालियां** : क्रय की जाने वाली सामग्री के मूल्य व प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रणाली लागू

		होगी :	होगी :
		(अ) **एकल निविदा प्रणाली / बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय :**	(अ) **एकल निविदा प्रणाली / बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय :**
		1. जहाँ रूपये 5000 / — तक की एक वस्तु का क्रय हो या वस्तुओं के समूह का क्रय हो, बिना कोटेशन या निविदा बुलाये क्रय किया जा सकेगा।	1. जहाँ रूपये 10000 / — तक की एक वस्तु का क्रय हो या वस्तुओं के समूह का क्रय हो, बिना कोटेशन या निविदा बुलाये क्रय किया जा सकेगा।
		2. जहाँ रूपये 5000 / — से अधिक और 25000 / — तक की एक वस्तु का क्रय हो या वस्तुओं के समूह का क्रय हो, बिना निविदा बुलाये भावपत्र / कोटेशन लेकर भी क्रय किया जा सकेगा।	2. जहाँ रूपये 10000 / — से अधिक और 50000 / — तक की एक वस्तु का क्रय हो या वस्तुओं के समूह का क्रय हो, बिना निविदा बुलाये भावपत्र / कोटेशन लेकर भी क्रय किया जा सकेगा।
		(ब) **सीमित निविदा प्रणाली** : जहाँ क्रय रूपये 25,000 / — से अधिक है किन्तु रूपये 5,00,000 / — से अधिक नहीं है, वहाँ केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा से क्रय का नमूना देकर निर्माता अथवा उनके प्रतिनिधियों अथवा स्थानीय विक्रेता से सीधा सम्पर्क कर क्रय किया जा सकता है। ऐसे निर्माताओं की एक अद्यतन सूची विश्वविद्यालय अपने पास रखेगा। ऐसी सूची L.U.N. या D.G.S. & D. से भी प्राप्त की जा सकती है। जहाँ क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य रूपये 01 लाख से अधिक किन्तु रूपये 05 लाख से अधिक नहीं है, Empanelment के माध्यम से भी क्रय किया जा सकता है।	(ब) **सीमित निविदा प्रणाली** : जहाँ क्रय रूपये 50,000 / — से अधिक है किन्तु रूपये 5,00,000 / — से अधिक नहीं है, वहाँ केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा से क्रय का नमूना देकर निर्माता अथवा उनके प्रतिनिधियों अथवा स्थानीय विक्रेता से सीधा सम्पर्क कर अथवा गवर्नमेंट ई—मार्केटप्लेस (GeM) से क्रय किया जा सकता है। ऐसे निर्माताओं की एक अद्यतन सूची विश्वविद्यालय अपने पास रखेगा। ऐसी सूची L.U.N. या D.G.S. & D. से भी प्राप्त की जा सकती है। जहाँ क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य रूपये 01 लाख से अधिक किन्तु रूपये 05 लाख से अधिक नहीं है, Empanelment के माध्यम से भी क्रय किया जा सकता है।
		(स) **खुली निविदा प्रणाली** : जहाँ क्रय रूपये 05 लाख से अधिक मूल्य का है चाहे एक वस्तु या वस्तुओं के समूह का हो, खुली निविदा बुलाकर ही क्रय किया जायेगा। इस हेतु पर्याप्त प्रचार—प्रसार किया जाकर निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।	(स) **खुली निविदा प्रणाली** : जहाँ क्रय रूपये 05 लाख से अधिक मूल्य का है चाहे एक वस्तु या वस्तुओं के समूह का हो, खुली निविदा अथवा गवर्नमेंट ई—मार्केटप्लेस (GeM) से निविदा बुलाकर ही क्रय किया जायेगा। इस हेतु पर्याप्त प्रचार—प्रसार किया जाकर

		रूपये 10,00,000/— से अधिक मूल्य की निविदाएं समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। निविदाएं निविदा अवधि तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी जारी की जायेगी।	निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। रूपये 25,00,000/— से अधिक मूल्य की निविदाएं समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। निविदाएं निविदा अवधि तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी जारी की जायेगी।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव को विश्वविद्यालय स्तर पर माननीय कुलगुरु महोदय के निर्देशन में तीन सदस्यीय पुनरीक्षण समिति गठित कर निर्णय लिये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

(श) UGC (University Grants Commission) के Gazette Notification एवं अनुदान प्राप्त करने के संबंध में।

निर्णय : कार्य परिषद् ने UGC (University Grants Commission) के Gazette Notification को उसके अद्यतन ammendment के साथ स्वीकृति प्रदान की। कार्यपरिषद ने निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के साधारण परिषद द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय को UGC द्वारा Grants (अनुदान) प्राप्त हो सकें, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

कुलसचिव
सदस्य सचिव
कुलसचिव
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
सलामतपुर जिला रायसेन (म.प्र.)

कुलगुरु
अध्यक्ष
Vice Chancellor
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies